

HC refuses to stop Vedanta's deductions in oilfield dispute

Dismisses appeal to restrain firm from deducting govt share

BHAVINI MISHRA
New Delhi, 11 July

The Delhi High Court on Friday dismissed an appeal by the Centre to restrain Vedanta from deducting payments from its (the Centre's) revenue share from the Mangala, Bhagyam, and Aishwariya oil and gas fields in Rajasthan.

Justice Jasmeet Singh, in his interim order, rejected the government's request to stop Vedanta from implementing a 2023 arbitral award.

So far, Vedanta has adjusted about ₹3,235 crore from the provisional revenue estimates for the second, third and fourth quarters of 2023-24 and is yet to adjust another ₹1,347 crore.

Vedanta can now proceed with its deductions until the final payout is quantified by the arbitration tribunal.

"For the foregoing reasons, this Court, within the limited jurisdiction as noted above, is not to re-evaluate the merits or alter the view taken by the AT (arbitration tribunal), particularly when the AT has passed a well-reasoned order and reserved the appellant's entitlement to seek re-adjustment ... I find no reason to interfere with the impugned order. Hence, the instant appeal is devoid of merit and is accordingly dismissed," the Delhi High Court stated in its interim order.

The government had sought to restrain Vedanta from implementing the 2023 ar-



The case file

- Court has rejected govt's request to stop Vedanta from implementing a 2023 arbitral award.
- Firm can proceed with deductions until final payout is quantified by arbitration tribunal
- The original licence for oil and gas exploration and production in the Barmer block expired on May 14, 2020
- Dispute was regarding 1995 production sharing contract between the Centre, Shell (later acquired by Vedanta), and Oil and Natural Gas Corporation

bitral award by making adjustments in the provisional estimates, pending the quantification of liabilities in the second, third and fourth quarters of FY24 (over \$300 million).

The dispute was regarding the 1995 production-sharing contract among the

Union government, Shell (later acquired by Vedanta), and the Oil and Natural Gas Corporation for the Rajasthan oil and gas blocks.

The original licence for oil and gas exploration and production in the Barmer block expired on May 14, 2020. The government then offered a 10-year extension but sought a higher share of oil and gas, along with the resolution of a ₹5,651 crore dispute over cost recovery.

The government's claim revolved around the reallocation of common costs among different fields in the block and the disallowance of pipeline-related expenses. The Directorate General of Hydrocarbons also raised audit objections for FY17 and FY18. Vedanta disputed these findings and initiated arbitration.

In August 2023, the tribunal issued a final partial award, largely upholding Vedanta's case by dismissing most of the government's claims, but did not set the exact payment amounts. The award was partially modified in December 2023.

The modified award was in favour of Vedanta and rejected the government's demands for a higher payout after a disallowing cost of ₹9,545 crore and reallocating certain common costs, including pipeline expenses.

The government challenged this award in the Delhi High Court, arguing that it conflicted with India's public policy and legal principles.

Will talk to environment ministry on HtBt cotton issue: Chouhan

SANJEEB MUKHERJEE
New Delhi, 11 July



PHOTO: PTI

Cosmo First 
Ahead Always

COSMO FIRST LIMITED

Regd. Off: 1st Floor, Uppal Plaza, M-6, Jasola District Centre, New Delhi-110025
CIN: L92114DL1976PLC008355, Tel: 011-49494949

E-mail: investor.relations@cosmofirst.com; Website: www.cosmofirst.com

NOTICE

1. NOTICE is hereby given that the 48th Annual General Meeting of the Company will be held on Monday, 04th August, 2025 at 3:00 P.M. through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") facility in compliance with General Circular No.14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021, 21/2021, 02/2022, 10/2022, 09/2023 and 09/2024 and all other applicable laws and circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Securities and Exchange Board of India (SEBI), to transact the business as set forth in the Notice of the Meeting dated 20th May, 2025.
2. In compliance with the above circulars, electronic copies of the Notice of the AGM along with the Annual Report for financial year 2024-25 have been sent to all the shareholders whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participant(s) and letter to those members whose e-mail address is not registered with Company/ Depository Participant providing the exact web-link of Company's website from where the Annual Report for financial year 2024-25 can be accessed.
3. The Company has provided electronic voting facility for transacting all the business(es) items as mentioned in Notice of 48th Annual General Meeting through e-voting facility on the platform of Central Depository Services (India) Limited (CDSL). The members may cast their votes using an electronic voting system from a place other than the venue of the meeting ("remote e-voting"). The remote e-voting facility shall commence on Friday, 1st August, 2025 at 09:00 A.M. and will end on Sunday, 03rd August, 2025 at 5:00 P.M. No e-voting shall be allowed beyond the said date and time.
4. A person, whose name appears in the Register of Members/Beneficial owners as on the cut-off date i.e. Monday, 28th July, 2025 only, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting/e-voting at the meeting. The members who have cast their vote by remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again in the meeting.
5. Any person who has acquired shares and becomes member of the Company after dispatch of notice may obtain the user id and password for remote e-voting from the Company's Registrar & Transfer agents, M/s. Alankit Assignments Limited, 4E/2, Alankit House, Jhandewalan Extension, New Delhi - 110055. The detailed procedure for obtaining User ID and password is also provided in the Notice of the AGM which is available on Company's website www.cosmofirst.com, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, and on the website of CDSL <https://www.evotingindia.com>.
6. The result of e-voting shall be announced on or after the Annual General Meeting of the Company. The result declared along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's website and on the website of CDSL for information of the members, besides being communicated to the Stock Exchange(s).
7. The Notice and Annual Report of the Company is posted on the website of the Company i.e. www.cosmofirst.com. In case you have queries or issues regarding attending AGM and e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at the toll free number 1800 21 09911. In case of any grievances connected with the facility for voting by electronic means, please contact Mr. Rakesh Dalvi, Sr Manager, CDSL, A Wing, 25th Floor, Marathon Futrex, Mafatlal Mill Compounds, NM Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013.
8. The Record Date for determining entitlement of members to the final dividend for the financial year 2024-25, is Monday, 28th July, 2025, which shall be paid on or before 03rd September, 2025, if approved at the 48th Annual General Meeting of the Company.

For Cosmo First Limited
Sd/-
Jyoti Dixit
Company Secretary

Place: New Delhi
Date: 11.07.2025

डीसीबी बैंक लिमिटेड

डी.बी. गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली - 110005

DCB BANK

अधिवृत्त सूचना

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने डीसीबी बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगानुसार, एक मॉग सूचना निम्नांकित स्थितियों पर निर्गत की थी, जिसमें उधारकर्ताओं (उधारकर्ता) को तथा सह-उधारकर्ता (सह) को निम्न तालिका में विवरणानुसार सूचना में अंकित राशि का, राशि पर नियत भावी ब्याज के साथ, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभूतगुणन करने को कहा गया था।

उधारकर्ता तथा सह-उधारकर्ता राशि का प्रतिभूतगुणन करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्वारा उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, प्रतिभूति हित नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा धारा 14(1) के साथ भी पठित, के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगानुसार, निम्न तालिका में अंकितानुसार अधिवृत्त कर लिया है।

उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति (अचल संपत्ति का विवरण) का लेन-देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन, यहां, निम्न तालिका में अंकितानुसार संबंधित राशि हेतु डीसीबी बैंक लिमिटेड के प्रमार्गवीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों को ऋणमुक्त कराने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

1.	सौकेतिक अधिवृत्त तिथि - 07 जुलाई 2025
मॉग सूचना तिथि	04-03-2025
उधारकर्ता(ओं) तथा सह-उधारकर्ता(ओं) के नाम	श्रीमान नोशाद नोशाद और श्रीमती विलाकेष
ऋण खाता संख्या	DRHLAL005541407
कुल बकाया राशि	₹. 9,83,214/- (रुपये नौ लाख तिरासी हजार दो सौ चौदह मात्र) 3 मार्च 2025 के अनुसार
अचल संपत्ति का विवरण	गात संख्या 807 (एमआई) के एक हिस्से पर संपत्ति के समस्त भाग तथा अंश, अधिमापन 69 वर्ग गज, मौजा मंजूर गद्दी, परगना और तहसील : कोडल, अलीगढ़ में स्थित, निम्नानुसार परिसीमित है :- पूर्व की ओर : दीनार का प्लॉट, पश्चिम की ओर : इशरत अली का प्लॉट, उत्तर की ओर : दीनार का प्लॉट, दक्षिण की ओर : सड़क। (प्रतिभूत परिसंपत्तियों)।
2.	सौकेतिक अधिवृत्त तिथि - 07 जुलाई 2025
मॉग सूचना तिथि	30-12-2024
उधारकर्ता(ओं) तथा सह-उधारकर्ता(ओं) के नाम	श्रीमान मोहम्मद आबिद और श्रीमती इस्लामन
ऋण खाता संख्या	DRBLMEE00576188
कुल बकाया राशि	₹. 6,37,736/- (रुपये छह लाख सैंतीस हजार सात सौ छत्तीस मात्र) 30 दिसंबर 2024 के अनुसार
अचल संपत्ति का विवरण	101.67 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले आवासीय मूल्ड के समस्त भाग तथा अंश जो ग्राम : जानी खुर्द, परगना, तहसील और जिला मेरठ में स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित है :- पूर्व की ओर : मोहम्मदी का मकान, पश्चिम की ओर : सोनी का मकान, उत्तर की ओर : सड़क, दक्षिण की ओर : सड़क। (प्रतिभूत परिसंपत्तियों)।
3.	सौकेतिक अधिवृत्त तिथि - 07 जुलाई 2025
मॉग सूचना तिथि	30-12-2024
उधारकर्ता(ओं) तथा सह-उधारकर्ता(ओं) के नाम	श्रीमान अकबर, श्रीमान शमशाद, श्रीमान आनिर और श्रीमती सायमा
ऋण खाता संख्या	DRBLMEE00576143
कुल बकाया राशि	₹. 9,67,808/- (रुपये नौ लाख सड़सठ हजार आठ सौ आठ मात्र) 30 दिसंबर 2024 के अनुसार
अचल संपत्ति का विवरण	मकान संख्या 495 के समस्त भाग तथा अंश, जिनका क्षेत्रफल 44.52 वर्ग मीटर है, जो ससय मीलीम, जिला : मेरठ में स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित है :- पूर्व की ओर : हाजा और मैराज का मकान, पश्चिम की ओर : कलवा का मकान, उत्तर की ओर : सड़क, दक्षिण की ओर : एहसान का मकान। (प्रतिभूत परिसंपत्तियों)।
4.	सौकेतिक अधिवृत्त तिथि - 08 जुलाई 2025
मॉग सूचना तिथि	20-03-2025
उधारकर्ता(ओं) तथा सह-उधारकर्ता(ओं) के नाम	श्रीमान मनीष मनीष, श्रीमान नैसम अली, मैसर्स एफके एंटरप्राइजेज (अपने प्रोपराइटर मनीष के माध्यम से) और श्रीमती रुखसाना
ऋण खाता संख्या	DRBLKAO00602529
कुल बकाया राशि	₹. 29,03,335/- (रुपये उनतीस लाख तीन हजार तीन सौ पैंतीस मात्र) 19 मार्च 2025 के अनुसार
अचल संपत्ति का विवरण	प्लॉट संख्या 25 (भाग) के समस्त भाग तथा अंश, जो खसरा संख्या 1342/3 में, में समाहित, अधिमापन 94.06 वर्ग मीटर, दिल्ली सहानपुर रोड, खन्ना नगर, ग्राम : लोनी, गाजियाबाद में स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित है :- पूर्व की ओर : सड़क, पश्चिम की ओर : सर्विस लेन, उत्तर की ओर : प्लॉट का शेष भाग, दक्षिण की ओर : प्लॉट का शेष भाग। (प्रतिभूत परिसंपत्तियों)।

दिनांक : 12-07-2025

स्थान : अलीगढ़, मेरठ, गाजियाबाद

ड्यूटी डीसीबी बैंक लिमिटेड
प्राधिकृत अधिकारी

Cosmo First

Ahead Always

कोसो फर्स्ट लिमिटेड

पंजी. कार्या. : प्रथम तल, उमपल प्लाजा, एम-8, जसोला डिस्ट्रिक्ट सेक्टर, नई दिल्ली-110025
CIN: L92114DL1976PLC008355, फोन नं 011-49494949

ई-मेल: investor.relations@cosmofirst.com; वेबसाइट: www.cosmofirst.com

सूचना

- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि सामान्य परिपत्र सं. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021, 21/2021, 02/2022, 10/2022, 09/2023 और 09/2024 एवं सभी अन्य लागू नियमों और कार्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी परिपत्रों के अनुपालन में बैठक की सूचना दिनांक 20 मई, 2025 में निर्धारित कामकाज के निष्पादन के लिए कंपनी की 48वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) सोमवार, 04 अगस्त, 2025 को अप. 3:00 बजे विडियो कॉन्फ्रेंस ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम ("ओवीएम") सुविधा के माध्यम से आयोजित की जाएगी।
- उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सभी शेयरधारकों को भेजी जाएंगी जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत हैं और उन सदस्यों जिनका ई-मेल पता कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत नहीं है उन्हें कंपनी की वेबसाइट का सही वेब-लिंक, जहां से वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट एक्सेस की जा सकती है, प्रदान करते हुए पत्र भेजा जाएगा।
- कंपनी ने 48वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना में दर्शाए गए सभी व्यवसायों के निष्पादन के लिए सेट्टल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के प्लेटफॉर्म पर ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सुविधा प्रदान की है। सदस्यगत बैठक के स्थल के अलावा किसी भी स्थान से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ("रिमोट ई-वोटिंग") का उपयोग कर अपना वोट दे सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग सुविधा शुक्रवार, 01 अगस्त, 2025 को प्रातः 09:00 बजे से शुरू होगी और रविवार, 03 अगस्त, 2025 को सायं 5:00 बजे समाप्त होगी। इस तिथि व समय के बाद ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी।
- कोई भी व्यक्ति जिनके नाम अंतिम तिथि अर्थात् सोमवार 28 जुलाई, 2025 तक सदस्यों के रजिस्टर/लामार्थी स्वामी में शामिल हैं केवल वही बैठक में रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग कर सकते हैं। सदस्य जो रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट देना चाहते हैं वह बैठक में उपस्थित हो सकते हैं लेकिन वह दोबारा बैठक में अपना वोट देने के पात्र नहीं होंगे।
- कोई भी व्यक्ति जिनके पास शेयर हैं और सूचना भेजे जाने के बाद कंपनी के सदस्य बन गए हैं, वह कंपनी के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट मैसर्स अलंकित एसाइनमेंट्स लिमिटेड, 4ई/2, अलंकित हाउस, इंडेबलान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055 से रिमोट ई-वोटिंग हेतु यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी गई है जो कंपनी की वेबसाइट www.cosmofirst.com, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानि बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com और सीडीएसएल की वेबसाइट <https://www.evotingindia.com> पर उपलब्ध है।
- ई-वोटिंग का नतीजा कंपनी की वार्षिक आम बैठक में या उसके बाद घोषित किया जायेगा। निरीक्षक की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम सदस्यों की जानकारी के लिए स्टॉक एक्सचेंज(ों) को सूचित किये जाने के साथ साथ कंपनी तथा सीडीएसएल की वेबसाइट पर दर्शाये जायेंगे।
- सूचना तथा कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.cosmofirst.com पर दर्शायी जायेगी। यदि एजीएम में भाग लेने और ई-वोटिंग के संबंध में आपकी कोई शंका या समस्या है तो आप www.evotingindia.com पर सहायता खंड के अंतर्गत उपलब्ध बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न ("एफएक्यू") तथा ई-वोटिंग मैनुअल के देख सकते हैं या helpdesk.evoting@cdsindia.com पर ईमेल कर सकते हैं या टोल फ्री नं 1800 221 09911 पर सम्पर्क कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा मतदान करने की सुविधा से संबंधी किसी शिकायत के मामले में कृपया श्री सार्केश दालवी, वरिष्ठ प्रबंधक, सीडीएसएल, ए विंग, 25वां तल, मैराथन फ्यूचरएक्स, मफतलाल मिल कम्पाउंडिंग, एनएम जोशी मार्ग, लोअर परेल (ईस्ट) मुम्बई-400013 से सम्पर्क करें।
- वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अंतिम लामार्थी के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने की रिपोर्ट तिथि सोमवार, 28 जुलाई 2025 है, जिसका मुगुतान कंपनी की 48वीं वार्षिक आम बैठक में अनुमोदित होने पर 03 सितंबर 2025 को या उससे पहले किया जाएगा।

ड्यूटी कोसो फर्स्ट लिमिटेड
हस्ता/-

ज्योति दीक्षित
कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 11.07.2025

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड 501, सार्वजनिक ऑफिस, जसोला जलपद फेड, नई दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, दिल्ली- 110025 तथा शाखा कार्यालय : शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, मेरठ, उत्तर प्रदेश

परिशिष्ट-IV-ए | नियम 8(6) का प्रावधान देखें |

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों के विक्रयार्थ खुली नीलामी विक्रय सूचना। एतद्वारा जनसाधारण को तथा विशेष रूप में उधारकर्ता(ओं) एवं गारंटर(री) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत ऋणदाता के पास बंधककृत / प्रमार्गित निम्न विवरणित अचल संपत्ति, जिसका रचनात्मक अधिवृत्त शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत

अचल संपत्तियों के विक्रयार्थ नीलामी सह विक्रय सूचना की सार्वजनिक सूचना